>

Title: Regarding problem of missing children in the country.

श्री महेन्द्रसिंह पी. चौहाण : आदरणीय सभापति जी, आपने मुझे शून्य काल के तहत गुमशुदा बच्चे एक राÂष्ट्रीय समस्या पर अपनी बात रखने का अवसर दिया है, मैं आपको धन्यवाद देता हूं। महोदय, देश में लापता होने वाले बच्चों की संख्या में हो रही निरंतर वृद्धि एक सामाजिक एवं राष्ट्रीय चिंता का विषय बन गया है। इस संवेदनशील विषय पर संसद में अनेक बार चर्चा हुयी, लेकिन कोई परिणाम नहीं निकला है।

महोदय, अगर गुमशुदा बच्चों के बारे में आंकड़ों पर नजर डालें तो बचपन बचाओ आंदोलन नामक एक गैर-सरकारी संगठन के सर्वेक्षण के अनुसार जनवरी, 2008 से जनवरी, 2010 के बीच 392 जिलों से प्राप्त संख्या के अनुसार 1 लाख 70 हजार 480 बच्चे अलग-अलग ठिकानों से गुम या लापता हुए हैं। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के द्वारा अनुमानित आंकड़ों के अनुसार हर साल औसतन आज 44 हजार बच्चे गुम हो रहे हैं। इनमें से सिर्फ 11 हजार बच्चों का पता लगता है, बाकी 33 हजार बच्चे हमेशा के लिए गुमशुदा बन जाते हैं। लापता बच्चों के सभी मामले पुलिस स्टेशन में दर्ज नहीं होते, वरना यह आंकड़ा और भी बड़ा हो सकता है।

महोदय, इन गुमशुदा बच्चों में लड़कियों की संख्या अधिक होना और भी चिंता का विषय है। इन लापता बच्चों का इस्तेमाल भीख मंगवाने एवं चोरी जैसे आपराधिक कार्यों में हो रहा है तथा साथ में ये बच्चे बाल यौन शोषण का शिकार भी बनते रहते हैं तथा लड़कियों को बाजार में बेच देने के मामले भी सामने आये हैं। बच्चों को चुराने वाले संगठित गिरोह बने होते हैं, जिसमें महिलाएं भी बड़ी संख्या में शामिल देखी जा रही हैं।

ऐसे में आपके माध्यम से मेरा सरकार से अनुरोध है कि इस विषय को गंभीरता से लें तथा जरूरी कानून बनाकर देश के हर एक जिले में एक स्पेशल नोडल अफसर की नियुक्ति करके गुम हो रहे बच्चों की रक्षा की जाए, उन्हें बचाया जाए।

सभापति महोदय :

श्री अर्जुन राम मेघवाल को उपरोक्त विषय से सम्बद्ध किया जाता है। श्री रवनीत सिंह जी, अब आप बोलिये। मेरी बहुत दिनों से इच्छा थी कि मेरे आसन पर बैठे हुए आप बोलें। मैं बहुत खुश हूं।